न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल सर्किट कोर्ट रीवा, जिला– रीवा (म.प्र.)

निगरानी 2226-II-15

COURT FEE 20 Rs. भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES Rs. 20/-

187 11.6.15

1– रामलखन लोनिया तनय श्री गम्हें लोनिया

2– रघुनाथ लोनिया तनय गम्हें लोनिया

दोनों निवासी साकिन अमेढ़िया तहसील व थाना मझौली जिला सीधी (म.प्र.)

.............निगरानीकर्तागण

बनाम

1– बाबू लाल यादव तनय कालू यादव

2– राममिलन यादव तनय कालू यादव

3– शंकर यादव तनय अमोल यादव

4– सुखलाल यादव तनय अमोल यादव

5– झल्ला यादव तनय हीरा यादव

6– छविलाल यादव ,तनय हीरा यादव

7– मोतीलाल यादव तनय सरमन यादव

सभी निवासी ग्राम बंजारी तहसील व थाना मझौली जिला–सीधी (म.प्र.)

श्री. एस.पी. पाण्डेय एड. एड. के द्वारा आज दिनांक 11-6-15 को प्रस्तुत किया गया।

रीडर सर्किट कोर्ट रीवा

क्रमांक 5864 रजिस्टर्ड ... आज दिनांक ... को प्राप्त

राजस्व ... ग्वालियर

.........गैरनिगरानीकर्तागण

निगरानी विरूद्ध आदेश दिनांक 30.05.2015प्र.क्र.53/अपील /09–10अनुविभागीय अधिकारी तहसील मझौली जिला सीधी (म.प्र.)

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू– राजस्व संहिता 1959

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्नलिखित हैं :–

1– यह कि निगरानीकर्तागण द्वारा यह निगरानी अनुविभगीय अधिकारी तहसील मझौली जिला–सीधी (म.प्र.) के द्वारा धारा 05 म्याद अधिनियम 1963 में पारित आदेश दिनांक 30.05.2015 से व्यथित होकर मान्नीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है।

Pandey

रामलखन लोनिया

रघुनाथ लोनिया

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक R 2226-II/15 जिला सीधी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
6–1–2016	प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, तहसील मझौली, जिला सीधी के प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 30–5–15 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । 2/ निगरानीकर्ता का तर्क है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा 25 वर्ष विलंब से प्रस्तुत की गई अपील में समय सीमा को माफ किया गया है, जबकि उनके यानी निगरानीकर्ता द्वारा धारा 5 के आवेदन पर जवाब देकर विरोध किया गया था । उनका यह भी तर्क है कि गैरनिगरानीकर्तागण के पूर्वजों से वादग्रस्त भूमि के विक्रय का प्रतिफल की रकम देकर अपने नाम नामांतरण कराया और आपस में नक्शा तरमीम कराकर 28–29 साल से अपने–अपने हिस्से की भूमि में काबिज–दाखिल चले आ रहे हैं । 3/ मामले में प्रस्तुत अनुविभागीय अधिकारी के प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 30–5–15 की प्रमाणित प्रति का अवलोकन किया, जिसमें उनके द्वारा यह उल्लेख करते हुए कि "उक्त भूमि का विक्रय विलेख किस आधार पर किया ऐसा कोई दस्तावेज उत्तरवादीगण द्वारा नहीं प्रस्तुत किया गया, जिससे यह माना जाये कि उक्त भूमियों का विक्रय–विलेख कराया गया है।" धारा 5 का आवेदन स्वीकार कर, 25 वर्ष के विलंब को माफ किया गया है । 4/ मैं यह पाता हूँ कि अनुविभागीय अधिकारी ने आक्षेपित आदेश दिनांक 30–5–15 द्वारा विलंब माफ करने के कारण का उल्लेख करके अपना निर्णय लिया है, जिसके उपरान्त प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा गुणदोष पर विचार किया जा सकेगा, जो कि न्यायोचित प्रतीत होता है। यदि निगराकार पक्ष (अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष उत्तरवादी) द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष समाधानकारक विक्रय संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किए गए होते, तो संभवतः अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विलंब माफी का निर्णय नहीं लिया गया होता । किन्तु समक्ष में तर्क करने के बावजूद	

उन्होंने ऐसे दस्तावेज के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी का प्रथम दृष्टया समाधान नहीं कराया, जिस कारणवश अनुविभागीय अधिकारी को न्यायहित में विलंब माफ करना पड़ा । वैसे भी अभी उभयपक्ष को अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष पक्ष समर्थन का अवसर उपलब्ध हैं, एवं आक्षेपित आदेश से किसी भी पक्षकार के वैधानिक हित वर्तमान में अनुचित रूप से प्रभावित नहीं हुए हैं । ऐसे में यह निगरानी अग्राह्य की जाती है ।

आदेश पारित ।

प्रकरण समाप्त ।

पक्षकार सूचित हों ।

दा0द0 हो ।

6.1.16

सदस्य